



LEI
Cals 201

199

न्यायालय ब्रिमान् तदस्य महोदय राजस्व मंडल म.पु. ग्वालियर

O/201 308/6

autm

B.C.R. autm

01 AUG 2016

१. पुभु तल्य डिला बसौर

२. रमेश तल्य डिला बसौर

३. शीला पत्ति रमेश बसौर

गुड्ही पत्ति पुभु बसौर

सभी निवासी ग्राम गौटेट तहो लिधौरा

जिला टीकमगढ़ म.पु.

... आवेदकगण

।। बनाम।।

म.पु. शीतन

... अनावेदक

निगरानी अंतर्गत धारा 50 म.पु. राजस्व तंदिता 1959

विलद्ध अपर क्लैक्टर टीकमगढ़ के पुरुष 14/स्व०निग/13-14
मै पारित आदेश दिनांक 02.06.2016 से दुखित होकर

माच्यवर महोदय,

आवेदकगण की ओर से निम्नलिखित पुराका है :-

1- यहकि, पुकरने का संदिग्ध विवरण इस पुकार से है कि आवेदकगण को ग्राम गौटेट स्थित भूमि खसरा नंबर 808/3 रक्वा 0.731 हेक्टेयर में पुभु एवं रमेश वै नाम से पद्धा दिये जाने बावत विधिवत् रूप से आवेदनपत्र द्वारा नायब तहसीलदार लिधौरा के न्यायालय मै प्रत्युत किया गया था, जित आधार पर नायब तहसीलदार लिधौरा तहो जतारा द्वारा अपने न्यायालय मै रा.पु.क. 165/31-19वर्ष 97-98 दर्ज किया, तथा पुकरने मै विधिवत् रूप से इस्तजार जारी किया गया निर्धारित समयावधि मै कोई भी आपत्ति ना आने पर पुकरने मै पट्टवारी से रिपोर्ट ली गई एवं कब्जे के संदर्भ मै ताद्य ली गई एवं जात्रता इत्यादि की जांच करते हुए उपेत भूमि का पद्धा दिनांक 29.06.98 को नायब तहसीलदार लिधौरा द्वारा विधिवत् रूप से स्वीकृत किया गया, उपेत पद्धे के विलद्ध कोई भी अपील या निगरानी ना होने के कारण उपेत आदेश अंतिम हो गया था, परंतु एक शिकायती

78

27/06/16

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, गवालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ 2

प्रकरण क्रमांक- निग.- 2972-एक/2016

जिला-टीकमगढ़

प्रभु व अन्य विरुद्ध मध्यप्रदेश शासन

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारी एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
11-01-2019	<p>1. प्रकरण प्रस्तुत ।</p> <p>2. आवेदक की ओर से अभिभाषक श्री धर्मन्द्र चतुर्वेदी उपस्थित । आवेदक अभिभाषक द्वारा अपर कलेक्टर, जिला-टीकमगढ़ के क्रमांक 14/स्व.निग./2013-14 में पारित आदेश दिनांक ⁰²⁻⁰⁶⁻²⁰¹⁶ 02-06-2009 के विरुद्ध म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अधीन दिनांक 30-08-2016 को मुख्यालय गवालियर में पुनरीक्षण याचिका प्रस्तुत की गई थी।</p> <p>3. म.प्र. भू-राजस्व संहिता संशोधन अधिनियम 2018 का क्रियान्वयन राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ 2-9/2018/सात/शा.6 भोपाल दिनांक 16-08-2018 के अनुक्रम में दिनांक 25-09-2018 से लागू हो गया है । उक्त अधिसूचना की धारा 54 के अनुसार -</p> <p>‘‘1. संशोधन अधिनियम 2018 के प्रवत्त होने के ठीक पूर्व पुनरीक्षण में लंबित कार्यवाहियां यथा संशोधित अधिनियम 2018 की धारा 50(1)(ग) एवं 54(क) के अधीन उन्हें सुने जाने तथा विनिश्चित किये जाने के लिये सक्षम राजस्व अधिकारी द्वारा सुनी जायेगी तथा विनिश्चित की जायेगी और यदि इस प्रयोजन के लिये अपेक्षित हो तो ऐसे राजस्व अधिकारी को अंतरित की जायेगी।’’</p> <p>4. अपर कलेक्टर के द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध म.प्र. भू-राजस्व संहिता की धारा 50(1)(ग) एवं 54(क) के अंतर्गत पुनरीक्षण हेतु सक्षम राजस्व अधिकारी संबंधित संभागीय आयुक्त है । अतः उक्त संशोधन के फलस्वरूप इस न्यायालय</p>	

में प्रस्तुत पुनरीक्षण आवेदन पर आयुक्त के द्वारा ही पुनरीक्षण याचिका का निराकरण किया जाना होगा।

5. अतः उक्त नवीन संशोधन के 'अनुक्रम' में पुनरीक्षण याचिका के निराकरण हेतु प्रकरण आयुक्त सागर संभाग, सागर को अंतरित किया जाता है। आवेदक दिनांक 18-03-2019 को इस आदेश की सत्यापित प्रतिलिपि लेकर आयुक्त सागर के न्यायालय में प्रस्तुत हो।

6. उक्त कार्यालय का दायित्व होगा कि उक्त दिनांक से पूर्व संबंधित अभिलेख आयुक्त सागर के न्यायालय में भेजा जाये।

7. उभय पक्ष अभिभाषक को नोट कराया जाये।

(आर.के.जैन) 11.01.19

सदस्य